

जि.सू.क.प.

प्रेषक

राज्य जनसूचना अधिकारी,
वित्त विभाग, हरियाणा ।

सेवा में

✓ श्री राजेन्द्र पांचाल,
गांव व डा0 पबनावा,
जिला कथैल, (हरियाणा)

यादि क्रमांक 4/7/2010-5 एफ.आर./8890
दिनांक 9-4-2010, चण्डीगढ़
15

विषय:-

R.T.I. Act के तहत हरियाणा सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र क्रमांक 4/5/2009- 5 फ0आर0 दिनांक 18 जून 2009 के बारे में जानकारी हेतु ।

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक / दिनांक शून्य के सन्दर्भ में ।

2. उक्त सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित हिदायतें दिनांक 18-6-2009 में स्पष्ट प्रावधान है कि एक स्वस्थ बच्चा जो क्लास नर्सरी से 10+2 में पढ़ रहा है उसकी फीस आदि की प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा स्थिति में बच्चे की आयु 5 वर्ष होना जरूरी नहीं है

433
राज्य जनसूचना अधिकारी,
वित्त विभाग, हरियाणा ।

9/4